कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ 255 /243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2014 रायपुर,दिनांक 18.07.2014

प्रति

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ ।

विषय :– शैक्षणिक सत्र 2014–15 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था विषयक ।

संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 4–2/2013/38–1 रायपुर, दिनांक 03.07.2014

———oo———

प्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकीय पदो के रिक्त होने के कारण पूर्व वर्षो की भांति शैक्षणिक सत्र 2014–15 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदो के विरूद्व अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित किया जायें । यह व्यवस्था केवल रिक्त पदो के विरूद्व वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वर्कलोड के अनुसार एवं निम्नलिखित शर्तो में होगी ।

1. अतिथि व्याख्याताओं की व्याख्यान व्यवस्था केवल स्वीकृत सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदो के विरूद्व की जाएगी । वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण छात्र संख्या एवं वर्कलोड के अनुसार किया जायेगा, वर्कलोड यू. जी.सी. द्वारा निर्धारित 24 क्लॉकखंड के आधार पर होगा ।
2. अतिथि व्याख्याताओं का चयन कालेज के स्तर पर एक समिति द्वारा किया जायेगा । आवेदन संबंधित महाविद्यालय में प्राप्त किये जावेगें । इस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में गुणानुकम के आधार पर प्रविष्ठ किया जाएगा तथा आवेदकों को पावती दी जाएगी । पावती मे संलग्नकों की सूची एवं संख्यांक का पूर्ण विवरण होगा । यदि आवेदन में कोई कॉलम /जानकारी अधूरी रह जाता है तो आवेदक से उसकी पूर्ति करवाई जायेगी तथा यदि आवेदक पूर्ति नही करता है, तो पावती में उसका अधूरे कॉलम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा । समिति द्वारा आवेदन पत्र एवं प्राप्ति पंजी को सत्यापित किया जाएगा । प्राचार्य की अध्यक्षता में एक समिति आवेदन पत्रों को प्राप्त कर उसकी समीक्षा करने एवं चयन करने का कार्य करेगी । समिति में महाविद्यालय के प्राचार्य तथा कालेज के संबंधित विषयों के विभागाध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम शिक्षक सदस्य होंगें ।
3. अतिथि व्याख्याताओं की चयन की कार्यवाही पूरी पारदर्शिता के साथ की जायें । किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये चयन समिति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी ।
4. चयन प्रक्रिया पूर्णतया मेरिट के आधार पर होगी एवं यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जायेगा । चयन हेतु वरीयता कम निम्नानुसार रहेगा :–
   श्रेणी– 1 संबंधित विषय में नेट/ स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण या पी.एच.डी. धारक

Scanned with CamScanner

श्रेणी – 2 संबंधित विषय में एम.फिल.

श्रेणी – 3 यू.जी.सी. के मापदंड अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त।

श्रेणी– 4 यदि स्नातकोत्तर विषय में विशेषज्ञता किसी एक विषय की हो तो उसे उसी विषय के लिये मान्य किया जायेगा । उदाहरणार्थ संगीत में वादन के विद्यार्थियों की गायन में अर्हता नही मानी जायेगी । इसी प्रकार आधुनिक इतिहास के विद्यार्थियों को मध्यकालीन अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास में अर्ह नही माना जायेगा ।

इसी प्रकार प्राणीशास्त्र तथा वनस्पतिशास्त्र के लिए इस विषय को पढने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा इस विषय के योग्य अभ्यार्थी अनुपलब्ध होने की दशा में ही पर्यावरण अथवा अन्य संबंधित विषयों के अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जायेगा ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर विहित शैक्षणिक अर्हता अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 50 प्रतिशत होगा ।

श्रेणी –1 के व्यक्तियों के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा । इस श्रेणी का कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो श्रेणी–2 के अतिथि व्याख्याताओं के नामों पर विचार किया जाएगा । श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के व्यक्ति उपलब्ध न होने पर ही श्रेणी तीन के उच्चतम योग्यता वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार किया जायेगा ।

5 इस प्रकार तैयार की गई विषयवार सूची को कालेज की सूचना पटल पर अनिवार्यतः चस्पा किया जायेगा जिसमें आवेदकों के निर्धारित परीक्षा में अंक तथा अन्य विशेषतायें जैसे – एन.एस.एस., एन.सी.सी. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने का प्रमाण–पत्र भी दर्शाया जायेगा ।

6. अतिथि व्याख्याताओं की चयन प्रकिया के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि चयनित उम्मीदवार के विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है । इसके लिये चयनित उम्मीदवार से इस आशय का शपथ–पत्र लिया जाये कि उसके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है । साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ अशासकीय सेवा में नही है । अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर सकेगा । शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उम्मीदवार को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जायेगा । अतिथि व्याख्याता किसी भी संस्था में अवैतनिक कार्य करने का आवेदन दे तो सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात ही महाविद्यालय निर्धारित कालखंडों के पश्चात् ही उक्त अवैतनिक कार्य कर सकेंगे । सामान्यतः इसकी अनुमति नही दी जाना चाहिए क्योंकि कक्षाओं में अध्यापन के लिये अतिथि व्याख्याताओं को तैयारी करने के लिये समय की आवश्यकता होती है ।

प्रथम आमंत्रण जारी करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को विधिवत् सूचित करने के पश्चात् (अतिथि व्याख्याता) पांच दिवस में ज्वाइंन नही करता है तो महाविद्यालय में उपलब्ध मेरिट सूची के अनुसार क्रमशः पाँच दिवस का अवसर प्रदान करते हुए अन्य अतिथि व्याख्याताओं को समय–सीमा में आमंत्रित करना सुनिश्चित करें ।

Scanned with CamScanner

7. चयन हेतु निर्धारित मापदंड–
गणना इस हेतु निम्नानुसार की जावे :–

(एक) मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अधिकतम 100 मेरिट अंक रहेंगें और इसका मापदंड निम्नानुसार होगा :–

(क) पी.एच.डी. तथा नेट/ सेट एवं एम.फिल. के लिए	–	50 मेरिट अंक
(ख) पी. एच.डी. के लिए	–	25 मेरिट अंक
(ग) नेट/ सेट के लिए	–	20 मेरिट अंक
(घ) एम. फिल.	–	05 मेरिट अंक
(दो) स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के लिये (अधिकतम)–	–	50 मेरिट अंक

(55 के लिये 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 1 प्रतिशत के लिए 1 अंक दिया जावेगा ।)

अन्य शर्तें –

अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगें और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत " लोक सेवक" नहीं माने जाते है ।

8. प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय 3 प्रायोगिक कक्षाओं को 2 सैद्धांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जायेगा ।

9. अतिथि व्याख्याता को आमंत्रण पत्र जारी किया जावेगा । यह आमंत्रण–पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भेजा जायेगा एवं दूरभाष पर भी सूचित किया जावे । वरीयता में प्रथम उम्मीदवार के उपस्थित न होने पर सात दिन इंतजार करने के बाद ही द्वितीय वरीयता प्राप्त उम्मीदवार को आमंत्रण पत्र दिया जावेगा । रजिस्टर्ड पत्रों की पावती प्राचार्य अपनी अभिरक्षा में रखेंगें ताकि आवश्यक होने पर उन्हें संचालनालय में बुलाया जा सके ।

10. मानदेय –(अ) शिक्षकीय कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए रूपये 200/– (रूपये दो सौ मात्र) प्रति व्याख्यान मानदेय देय होगा । अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक अतिथि एक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पीरियड्स ले सकेंगें । इस प्रकार अधिकतम प्रतिदिन 800/–(रूपये आठ सौ मात्र) तथा अधिकतम प्रतिमाह 20800/– (रूपयें बीस हजार आठ सौ मात्र) का भुगतान किया जावेगा ।

11. ये आमंत्रण पत्र प्रत्येक व्याख्यान के लिये पृथक-पृथक या एक से अधिक व्याख्यान के लिये जारी किए जाए । प्रति व्याख्यान हेतु मानदेय दर एवं प्रति व्याख्यान की अवधि 40/45 मिनट का उल्लेख आमंत्रण पत्र में अवश्य किया जाय ।

12. यह विज्ञापन एक सीमित विज्ञापन होगा जिसमें अर्हताओं, आवेदन पत्र का प्रारूप, मानदेय की जानकारी का विवरण होगा । महाविद्यालयवार तथा विषयवार अतिथि व्याख्याता की आवश्यकता की जानकारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से अथवा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड से विज्ञापन के प्रकाशन के बाद आवेदकगण निर्धारित किये गये कैलेण्डर अनुसार अपना आवेदन संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगें । चयनितों की सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड पर तत्काल किया जाये ।

13. अधिक अवधि में अतिथि व्याख्याताओं की सेवा केवल अध्यापन कार्य (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक)के सम्पादन हेतु प्राचार्य आवश्यकतानुसार ले सकेंगें । जिन महाविद्यालयों में प्रायोगिक विषयों में नियमित शिक्षक संलग्न नहीं है वहाँ अतिथि व्याख्याता प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न होने तक कार्य कर सकते है ।

Scanned with CamScanner